भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.50 ... 0

पाँच हजार ... RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 243678

I

लीज डीड (पट्टा विलेख)

स्टाम्प अंकन 7,200/- रूपये

महावीरा प्यूपील्स एजुकेशन सोसायटी, 23 बख्तावरपुर (टाण्डा) दिल्ली-110036 द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त निवासी मकान नं0-23, बख्तावरपुर, टाण्डा, दिल्ली-36। (प्रथम पक्ष)

बहक

एन0सी0पी0ई0 कालिज ऑफ लॉ, जवाहर नवोदय विद्यालय रोड़, धमूमानिकपुर, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त निवासी मकान नं0-23, बख्तावरपुर, टाण्डा, दिल्ली-36 (द्वितीय पक्ष)

क्र०सं०....92....स्टाम्प विक्रय की तिथि....23/1/10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ......शपथि
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ......महावीरा पिपुलस एजुकेशन सोसायटी 23 बख्तावरपुर रोड़ दिल्ली द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार
स्टाम्प की धनराशि........................5000
गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता
ला०नं०-22, ला० की अवधि ÷ 31-3-2012
तहसील कम्पाउण्ड, दादरी (गौ० बु० नगर)
सीमा ÷ 15000/-

LD-36/4928-5000/ P.M
6000/ P.Y
बनामी .... फ़ीस रजि० 102
उजरत ......20...... योग ......680/-...... शब्द लगभग 600
श्री ......सुरेश कुमार
पुत्र श्री ......कृष्ण कान्त...... पेशा ......व्यापार
निवासी ......म०नं० 23 बख्तावर पुर दिल्ली
कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनाँक 23/1/10
मध्य ..4.. व ..5.. बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
23/1/10

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

~~अभिलेख पृष्ठ~~ ~~से~~
~~लिखित से~~
~~लगत~~ ~~मेरे~~ ~~समक्ष~~ ~~पीकर~~ ~~उक्त~~ श्री सुशील कुमार अध्यक्ष
महावीरा पिपुलस एजुकेशन सोसायटी 23 बख्तावर
पुर मुकाम अल्पे ने व हलफील्स श्री एन.सी.पी.ई.
कॉलेज आम को मकान मंगल्य विद्यालय रोड
खम्मानपुर द्वारा अध्यक्ष सुशील कुमार पु० श्री
कृष्ण कान्त नि० म०नं० 23 बख्तावरपुर रोड़
ने स्वीकार किया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 037940

विदित हो कि मैं प्रथम पक्ष ग्राम धमूमानिकपुर, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर में खसरा नम्बर-445 रकबा 0.3887 हैक्टेयर पर निर्मित भवन जिसमें पाँच कमरे, एक वाचनालय, एक स्टाफ रूम, एक मिटिंग हॉल, एक कार्यालय व चार शौचालय पुरूष व चार शौचालय महिला निर्मित है जिसका प्रथम मालिक व काबिज है। जिसको प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को कालिज चलाने हेतु 30 (तीस) वर्ष के लिए निम्न शर्तो पर लीज (पट्टा) पर दिया है।

1- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि व भवन को लॉ कालिज चलाने हेतु 30 (तीस) वर्ष के लिए प्रथम पक्ष से पट्टे पर ले रहा है। जिसकी अवधि आज दिनांक 23-01-2010 से प्रारम्भ होकर दिनांक 22-01-2040 तक रहेगी।

93
क्र०सं०......92 स्टाम्प विक्रय की तिथि... 23/1/10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....
स्टाम्प की धनराशि 1000
गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता
ला०नं०-22, ला० की अवधि÷31-3-2010...
तहसील कम्पाउण्ड, दादरी (गौ० बु० नगर)
बिक्री सीमा ÷ 15000/-

जिनको पहचाना श्री ...... राज कुमार
पुत्र श्री ...... [illegible] पेशा ...... नौकरी
निवासी ...... [illegible]
व श्री ...... सुबोध पेशा ...... नौकरी
पुत्र श्री ...... बाबूराम
निवासी ...... मायूर [illegible]
ने की

उप निबन्धक दादरी
23/1/10

(S/) (S/)

[illegible] [illegible]

23/1/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 037941

2- यह कि उपरोक्त भूमि व भवन का किराया 5,000/- रूपये (पाँच हजार रूपये) प्रति माह द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा।

3- यह कि द्वितीय पक्ष अपना लॉ कालिज चलाने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त भूमि व भवन पर कोई परिवर्तन या निर्माण करा सकता है।

4- यह कि उक्त निर्माण में होने वाले खर्च को द्वितीय पक्ष ही वहन करेगा। प्रथम पक्ष से उस खर्च का कोई लेना-देना नहीं होगा।

95 23/1/10

क्र०सं०......95 स्टाम्प विक्रय की तिथि... 23/1/10

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....राजी

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

स्टाम्प की धनराशि ....1000.......

गोविन्द राम स्टाम्प विक्रेता

ला०नं०-22, ला० की अवधि÷31-3-2010

तहसील कम्पाउण्ड, दादरी (गौ० बु० नगर)

बिक्री सीमा ÷ 15000/-

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AE 042111

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5- यह कि पट्टे की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को पट्टे पर नहीं देगा।

6- यह कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्ष आपसी सहमति से नया विलेख द्वारा पट्टा अवधि को बढ़ा सकेंगे।

7- यह कि पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रथम पक्ष अपनी आवश्यकतानुसार भूमि व भवन को खाली कराना चाहेगा तो उसे तीन माह पूर्व द्वितीय पक्ष को नोटिस देना होगा। बिना नोटिस के पट्टा अवधि समाप्त नहीं की जा सकेगी। और यदि द्वितीय पक्ष अवधि से पूर्व भूमि या भवन खाली करेगा तो उसे एक माह पूर्व द्वितीय पक्ष को नोटिस देना अनिवार्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

JAN 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 042112

5

अतः यह पट्टा विलेख पत्र हम पक्षकारों ने आज दिनांक 23-01-2010 को खूब सोच समझकर, बिना किसी जोर दबाव व स्वस्थ चित्त की दशा में समक्ष गवाहान लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

गवाह -1 राजकुमार पुत्र श्री नारायण सिंह
नि० ग्राम चूरमाणिकपुर तह० दादरी

गवाह -2 सुबोध पुत्र बाबूराम निवासी
ग्राम मामूरा सैक्टर-66 नोएडा
जनपद गौ० बु० नगर
सुबोध

तारीख 23-01-2010 ई0 मसौदा लेखक ब्रजपाल भाटी एडवोकेट, दादरी।